संख्याः 630 /XVII(4)/2011/02(2)/11

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आई.सी.डी.एस.,
उत्तराखण्ड,देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग देहरादून दिनांकः 27 ~~फरवरी~~ मार्च, 2012

विषयः– **चालू वित्तीय वर्षः 2011–12 में आई.सी.डी.एस. उत्तराखण्ड से सम्बन्धित अनुदान संख्याः 15, 30 एवं 31 की विभिन्न योजनाओं की अवचबद्ध मदो हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 2878–79/ आई0सी0डी0एस0 बजट मांग–1975/ 2011–12, दिनांक 13–3–2012, के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में आई0सी0डी0एस0 उत्तराखण्ड की विभिन्न योजनाओं की अवचनबद्ध मदो हेतु संलग्नक 1, 2 व 3 में उल्लिखित विवरणानुसार क्रमशः अनुदान संख्याः 15 के आयोजनागत पक्ष में रू0 4,65,67,000/– (रू0 चार करोड़ पैसठ लाख सड़सठ हजार मात्र), अनुदान संख्या 30 के आयोजनागत पक्ष में रू0 9,32,000/– (रू0 नौ लाख बत्तीस हजार मात्र) तथा अनुदान संख्या 31 के आयोजनागत पक्ष में रू0 4,02,000/– (रू0 चार लाख दो हजार मात्र) अर्थात इस प्रकार कुल धनराशि रू0 4,79,01,000/– (रू0 चार करोड़ उन्यासी लाख एक हजार मात्र) की व्यय किये जाने की वित्तीय स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते है।

2. योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31–03–2011 में निहित प्रतिबन्धों तथा शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आहरण/व्यय वित्तीय वर्ष में व्यय हो सकने वाली धनराशि की सीमा तय ही, यथा आवश्यकता मितव्ययिता को ध्यान में रखकर नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल उन्ही मदों में किया जायेगा जिनके लिये धनराशि आवंटित की गई हो। उक्त धनराशि का आहरण/व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा निर्धारित समयान्तर्गत भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्रेषित किया जायेगा।

4. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए। स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय पूर्व में संगत मदों में स्वीकृत की गई धनराशि के पूर्ण व्यय हो जाने के उपरान्त ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5. अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिये कदापि न छोडी जाय।

........2/2

6. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्कतानुसार आवंटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहे वह वेतन आदि के संबंध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के संबंध में, संपूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी ओर लाल स्याही से अनुदान संख्या 15, 30 एवं 31 आयोजनागत शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महालेखाकार, कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।

7. संलग्नक में वर्णित धनराशियों का समय से उपयोग करने के लिए यह भी सुनिश्चित कर लें कि धनराशि परिधिगत कार्यालयों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए। आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाए।

8. मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों/नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. आवंटन के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जायें।

10. किसी अनुदान के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि का बगैर शासन की सहमति के किसी भी प्रकार से पुनर्विनियोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध है।

11. अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्त पुस्तिका के प्रावधानों के अन्तर्गत समय सारिणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही नियोजन विभाग द्वारा आवंटित परिव्यय की सीमा तक किये जाने का दायित्व आपका होगा।

13. बी.एम.–13 पर संकलित मासिक सूचनाएं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

14. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 15, 30 एवं 31 के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित लेखाशीर्षकों की सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जाएगा।

17. उक्त स्वीकृति वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अशा0 संख्या– 445 (P)/XXVII(3)/2011-12 दिनॉक 26–3–2012 द्वारा प्रदत्त सहमति के क्रम में निर्गत की जा रही है।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय

/

(अमित सिंह नेगी)

अपर सचिव

संख्याः 630 (1)/XVII(4)/2011 तद्‌दिनाँक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूं मण्डल, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. वित्त विभाग/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
7. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव

संलग्नक—1

शासनादेश संख्या /XVII(4)/2012/2(2)/11 दिनांक 2012 का संलग्नक

01 – अनुदान संख्या – 15 आयोजनागत/मतदेय
लेखा शीर्षक : 2235.02.102.01.0102
मुख्य शीर्षक : 2235—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण
उप मुख्य शीर्षक : 02— समाज कल्याण
लघु शीर्षक : 102—बाल कल्याण
उपशीर्षक : 01—केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजना
ब्यौरेवार शीर्षक : 0101— आई0सी0डी0एस0 योजना में में मेडिसन किट्स की आपूर्ति आदि विभिन्न योजनाओं का संचालन (90प्रतिशत केन्द्र सहायतित)

धनराशि हजार रू0 मे

मद संख्या	मद का नाम	वर्ष 2011.12 का बजट प्राविधान	पूर्व में स्वीकृत धनराशि	स्वीकृत धनराशि
31	सामग्री और सम्पूर्ति	26380	19431	800
	101 का योग	26380	19431	800

02 – अनुदान संख्या – 15 आयोजनागत/मतदेय
लेखा शीर्षक : 2235.02.102.01.0102
मुख्य शीर्षक : 2235—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण
उप मुख्य शीर्षक : 02— समाज कल्याण
लघु शीर्षक : 102—बाल कल्याण
उपशीर्षक : 01—केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजना
ब्यौरेवार शीर्षक : 0102— समन्वित बाल विकास योजना (90प्रतिशत केन्द्र सहायतित)

धनराशि हजार रू0 मे

मद संख्या	मद का नाम	वर्ष 2011.12 का बजट प्राविधान	पूर्व में स्वीकृत धनराशि	स्वीकृत धनराशि
04	यात्रा भत्ता	7500	5625	1875
05	स्था. यात्रा भत्ता	500	150	350
08	कार्यालय व्यय	1500	1125	375
11	लेखन सामग्री / फार्मो की छपाई	1200	900	300
12	कार्यालय फर्नीचर	500	375	125
15	मोटरगाड़ी अनु. एवं पेट्रोल आदि की खरीद	2000	1500	500
16	व्यावसायिक सेवा	11250	9238	2012
17	किराया/उप शुल्क	23500	12000	11500
20	सहा.अनु. /अंशदान/ राज सहा.	14050	10539	3511
22	आतिथ्य व्यय	100	75	25

	विशयक भत्ता			
26	मषीनें और साजसज्जा /उपकरण	8536	6402	2134
27	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	900	725	175
31	सामग्री और सम्पूर्ति	100	75	25
42	अन्य व्यय	1000	750	250
46	कम्प्यूटर क्रय	100	75	25
47	कम्प्यूटर अनुरक्षण	800	600	200
	योग 0102 :–	73536	50154	23382

03.अनुदान संख्या – 15 आयोजनागत /मतदेय

लेखा षीर्शक : 2235.02.102.01.0103

मुख्य षीर्शक : 2235 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

उप मुख्य षीर्शक : 02– समाज कल्याण

लघु षीर्शक : 102–बाल कल्याण

उपषीर्शक : 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजना

ब्यौरेवार षीर्शक : 0103– निदेषालय, आई.सी.डी.एस. की सीापना

(धनराशि हजार में)

मद संख्या	मद का नाम	वर्श 2011.12 का बजट प्राविधान	पूर्व में स्वीकृत धनराषि	स्वीकृत धनराशि
04	यात्रा भत्ता	50	38	12
08	कार्यालय व्यय	100	75	25
11	लेखन सामग्री	50	38	12
12	कार्यालय फर्नीचर	100	75	25
15	मोटरगाड़ी अनु.	150	114	36
18	प्रकाषन	50	39	11
19	विज्ञापन,	50	39	11
26	मषीनें और साज सज्जा	25	18	7
42	अन्य व्यय	40	30	10
46	कम्प्यूटर क्रय	50	38	12
47	कम्प्यूटर अनुरक्षण	60	45	15
	कुल योग 0103 :–	725	549	176

04– अनुदान संख्या – 15 आयोजनागत/मतदेय

लेखा षीर्शक : 2235.02.102.01.0104

मुख्य षीर्शक : 2235 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

उप मुख्य षीर्शक : 02– समाज कल्याण

लघु षीर्शक : 102–बाल कल्याण

उपषीर्शक : 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजना

ब्यौरेवार षीर्शक : 0104–समन्वित बाल विकास के लिए जिला स्तरीय स्टाफ की व्यवस्था

(90प्रतिषत केन्द्र सहायतित)

(धनराशि हजार में)

मद संख्या	मद का नाम	वर्श 2011.12 का बजट प्राविधान	पूर्व में स्वीकृत धनराषि	स्वीकृत धनराशि
04	यात्रा भत्ता	200	150	50
05	स्था0 यात्रा भत्ता	100	75	25
08	कार्यालय व्यय	150	113	37
11	लेखन सामग्री	200	150	150
12	कार्यालय फर्नीचर	200	150	150
13	टेलीफोन व्यय	150	124	26
15	मोटरगाड़ी अनु.	450	338	112
18	प्रकाशन	50	39	11
19	विज्ञापन,	100	75	25
26	मशीनें और साज सज्जा	100	75	25
42	अन्य व्यय	100	75	25
46	कम्प्यूटर क्रय	50	39	11
47	कम्प्यूटर अनुरक्षण	75	57	18
कुल योग 0103 :—		1925	1460	465

05 अनुदान संख्या — 15 आयोजनागत / मतदेय
लेखा शीर्षक : 2235.02.102.01.0108
मुख्य शीर्षक : 2235 —सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण
उप मुख्य शीर्षक : 02 — समाज कल्याण
लघु शीर्षक : 102 —बाल कल्याण
उपशीर्षक : 01—केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्रपुरोनिधानित योजना
ब्यौरेवार शीर्षक : 0110— अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (90 केन्द सहायतित)

(धनराशि हजार में)

मद संख्या	मद का नाम	वर्ष 2011.12 का बजट प्राविधान	पूर्व में स्वीकृत धनराषि	स्वीकृत धनराशि
20	सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता	8244	6183	2061
	योग	8244	6183	2061

06 अनुदान संख्या — 15 आयोजनागत / मतदेय
लेखा शीर्षक : 2235.02.102.01.0108
मुख्य शीर्षक : 2235 —सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण
उप मुख्य शीर्षक : 02 — समाज कल्याण
लघु शीर्षक : 102 —बाल कल्याण
उपशीर्षक : 01—केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्रपुरोनिधानित योजना
ब्यौरेवार शीर्षक : 0114— सूचना, शिक्षा, संचार तथा प्रचार—प्रसार (90 केन्द सहायतित)

(धनराशि हजार में)

मद	मद का नाम	वर्ष 2011.12 का	पूर्व में स्वीकृत	स्वीकृत धनराशि

संख्या		बजट प्राविधान	धनराषि	
42	अन्य व्यय	16488	12366	4122
	योग	16488	12366	4122

07– अनुदान संख्या – 15 आयोजनागत / मतदेय
लेखा शीर्षक : 2235.02.102.01.0110
मुख्य शीर्षक : 2235 –सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण
उप मुख्य शीर्षक : 02 – समाज कल्याण
लघु शीर्षक : 102 –बाल कल्याण
उपशीर्षक : 01–केन्द्रीयआयोजनागत / केन्द्र पुरोनिधानित योजना

ब्यौरेवार शीर्षक : 0126–मातृत्व सहयोग योजना(100प्रतिशत के0सहा0)

(धनराशि हजार में)

मद संख्या	मद का नाम	वर्ष 2011.12 का बजट प्राविधान	पूर्व में स्वीकृत धनराशि	प्रस्तावित धनराशि
42	अन्य व्यय	45000	29489	15511
	कुल योग 0126 :–	45000	29489	15511

08 – अनुदान संख्या – 15 आयोजनागत / मतदेय
लेखा शीर्षक : 2235.02.102.09.00
मुख्य शीर्षक : 2235 –सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण
उप मुख्य शीर्षक : 02 – समाज कल्याण
लघु शीर्षक : 102 –बाल कल्याण
उपशीर्षक : 09 –राज्य स्तरीय "तीलू रौतेली" पुरस्कार योजना
ब्यौरेवार शीर्षक : 00 –

(धनराशि हजार में)

मद संख्या	मद का नाम	वर्ष 2011.12 का बजट प्राविधान	पूर्व में स्वीकृत धनराषि	स्वीकृत धनराशि
42	अन्य व्यय	200	150	50
	कुल योग 0900 :–	200	150	50
	अनुदान संख्या 15 का महायोग	160698	119782	46567

अनुदान संख्या 15.Plan का कुल योग	46567हजार

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव

संलग्नक–2

शासनादेश संख्या /XVII(4)/2012/2(2)/11 दिनांक 2012 का संलग्नक

01 – अनुदान संख्या – 30 आयोजनागत/मतदेय

लेखा शीर्षक : 2235.02.102.02.0203

मुख्य शीर्षक : 2235 –सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

उप मुख्य शीर्षक : 02– समाज कल्याण

लघु शीर्षक : 102– बाल कल्याण

उपशीर्षक : 02– अनु0जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान

ब्यौरेवार शीर्षक : 0203– समन्वित बाल विकास योजना (90 प्रतिशत के0सहा0)

(धनराशि हजार में)

मद संख्या	मद का नाम	वर्ष 2011.12 का बजट प्राविधान	पूर्व में स्वीकृत धनराषि	प्रस्तावित धनराशि
11	लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	30	23	7
20	सहायक अनुदान/अंशदान/ राज सहायता	2402	1802	600
26	मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र	1267	942	325
	कुल योग 0203 :–	3699	2767	932
	अनुदान संख्या 30 का कुल योग		932 हजार	

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव

संलग्नक–3

शासनादेश संख्या /XVII(4)/2012/2(2)/11 दिनांक 2012 का संलग्नक

01 अनुदान संख्या– 31 आयोजनागत/मतदेय
लेखा शीर्षक : 2235.02.796.04.00

मुख्य शीर्षक : 2235 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण
उप मुख्य शीर्षक : 02– समाज कल्याण
लघु शीर्षक : 796– जाजातिय क्षेत्र उप योजना
उपशीर्षक 04– समन्वित बाल विकास परियोजनायें (90प्रतिशत के0सहा0)
ब्यौरेवार शीर्षक : 00 –

(धनराशि हजार में)

मद संख्या	मद का नाम	वर्ष 2011.12 का बजट प्राविधान	पूर्व में स्वीकृत धनराशि	प्रस्तावित धनराशि
04	यात्रा भत्ता	200	150	50
08	कार्यालय व्यय	50	38	12
11	लेखन सामग्री	40	30	10
12	कार्यालय फर्नीचर	20	15	5
16	व्यावसायिक तथा सेवा	430	424	6
20	सहा. अनु./अं.दा. /राज सहायता	727	544	183
26	मशीनें और साजसज्जा	402	302	100
42	अन्य व्यय	50	39	11
47	कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का कय	50	25	25
	योग 04 :–	1969	1567	402

अनुदान संख्या 31 का कुल योग	402 हजार
अनुदान संख्या 15,30–31-Plan का कुल योग	47901 हजार

(रू0 चार करोड़ उन्यासी लाख एक हजार मात्र)

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव